रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

हबीबगंज रेलवे स्टेशन परिसर, हबीबगंज, भोपाल-462016

क्र. रे.दा.अ./भो./ आउसोर्सिंग स्टेनो/2023 दिनांक 28-07-2023

रेल दावा अधिकरण, भोपाल पीठ में एक हिन्दी स्टेनो को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थाई रूप से भरने हेतु नीचे उल्लेखित तारीख, समय और स्थान पर वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा:-

स्थान	दिनांक	समय
रेल दावा अधिकरण, भोपाल पीठ, रानीकमलापति रेलवे स्टेशन परिसर, मानसरोवर कॉम्पलैक्स के सामने, भोपाल (म.प्र.) पिन-462016	18.08.2023	11.00 बजे

इच्छुक उम्मीदवार दक्षता परिक्षा एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों की जानकारी के लिए आरसीटी की वेबसाइट *www.rct.indianrail.gov.in* पर देखें।

28/7/23

अपर पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल

रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

हबीबगंज रेलवे स्टेशन परिसर, हबीबगंज, भोपाल–462016

अधिसूचना

रेल दावा अधिकरण, भोपाल पीठ में संविदा आधार पर एक हिन्दी स्टेनो की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें :–

1. **स्टेनो के पद के लिए अर्हता एवं अनुभव :**

   किसी भी विषय में 10+2 पास होने के साथ–साथ कंप्यूटर की समग्र जानकारी सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि में दक्षता, एम एस वर्ड, एक्सल की जानकारी, व्यवहार कुशल और पारस्परिक कौशल में भी दक्ष हो। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और कंप्यूटर पर आशुलिपि के लिप्यांतरण के लिए 65 मिनट की कौशल परीक्षा होगी।

गति	अवधि	लिप्यांतरण समय
80 शब्द प्रति मिनट	10 मिनट	65 मिनट

2. परिश्रमिक वेतन का भुगतान दिनांक 04.09.2019 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 49014/2017–इस्ट (सी) में अंतर्विर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

3. उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक, अनुभव, जाती प्रमाण पत्र आर सी टी के E-Mail Id additionalregistrar7rct.bpl@gmail.com पर भेजें। आवेदन किसी अन्य माध्यम जैसे डाक या स्वयं के द्वारा जमा करना स्वीकर्य नहीं होगा।

4. आवेदन प्राप्त करने की आखरी तारिख 11.08.2023 को 18.00 बजे तक आर सी टी भोपाल के E-Mail Id additionalregistrar7rct.bpl@gmail.com पर भेज सकते हैं।

5. कोई भी उम्मीदवार दक्षता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए TA/DA का पात्र नहीं होगा। उन्हें रूकने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

6. दछता परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु उम्मीदवार को short notice पर उनके E-Mail के द्वारा सूचित किया जावेगा।

7. प्रशासन बिना कारण बताये चयन प्रकिया को किसी भी स्टेज पर रदद् कर सकती है।

8. संविदा के आधार पर लिया गया कोई व्यक्ति ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से यथा आनुपातिक आधार पर राशि की कटौती की जाएगी। प्रतिदिन की अनुपस्थिति के मामले में कटौती की राशि एकमुश्त राशि का 1/30 वां भाग होगी।

9. सभी कार्य दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक कार्य के आठ घंटे होंगे। (जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश होगा)

10. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के लीक होने पर मुकदमे सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

11. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पूर्व नोटिस देने पर यह संविदा अवधि समाप्त की जा सकती है :–

    (अ) उपर्युक्त संविदा व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तों की स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए अथवा जब तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पदों को न भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तक होगी।

    (ब) उपर्युक्त संविदा व्यवस्था दोनों पक्षकारों की सहमति से और संविदा आधार पर लिए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के कार्य–निष्पादन के आधार पर उपर्युक्त (अ) के अध्यधीन अगले 11 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

12. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की नियुक्ति रेल दावा अधिकरण या रेलवे में किसी नियुक्ति की पेशकश नहीं होगी।

13. यदि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी उपस्कर अथवा संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि पहुंचाई जाती है, तो उनके मासिक वेतन से इसकी वसूली की जाएगी।